न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 50/2020 (46/2013)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रेमाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी दुगस्ताउ तहसील जायल जिला नागौर।		1नायब तहसीलदार, जायल। 2 किशोर पुत्र नाथूराम 3 रामप्रसाद पुत्र नाथूराम जातियान जाट निवासीगण दुगस्ताउ तहसील जायल जिला नागौर 4 रामजीवण पुत्र नरसिंहलाल जाति ब्राह्मण निवासी दुगस्ताउ तहसील जायल जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री रामस्वरूप विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 03 की ओर से।
4. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 17.08.2022

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 342/2012 सरकार बनाम प्रेमाराम वगैराह में निर्णय दिनांक 30.10.2012 के तहत मौजा दुगस्ताउ के खसरा नं. 1288 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.07.2013 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 26.08.2013 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र क्रमांक 51 दिनांक 30.03.2021 के अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति भिजवाई। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार जायल के निर्णय दिनांक 30.10.2012 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, ग्राम दुगस्ताउ के खतौनी सम्वत 2064 से 2067 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने मौका तहसीलदार जायल के मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 03 की ओर से श्री रामस्वरूप विश्नोई अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी रामजीवण पुत्र नरसिंहलाल जाति ब्राह्मण निवासी दुगस्ताउ तहसील जायल की ओर से एडवोकेट नरेन्द्र सारस्वत की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-1, R-10 धारा 151 सीपीसी का दिनांक 30.09.2013 को पेश किया। जिस पर बाद सुनवाई दिनाक 10.03.2015 को प्रार्थी रामजीवण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया इस निर्णय के खिलाफ प्रार्थी रामजीवण ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की। राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 05.09.2019 व 18.09.2019 के अनुसार प्रार्थी रामजीवण को पक्षकार संयोजित किया गया तथा पत्रावली को पुनः दिनांक 02.11.2020 को नम्बर पर लिया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं रही क्योंकि अपीलांट गांव में मौजूद ही नहीं था। मजदूरी हेतु महाराष्ट्र राज्य में गया हुआ था। हाल ही में अपीलाट के भाई किशोरराम ने मोबाईल पर अपीलांट को इत्ला दी की पटवारी व आरआई घर पर आये है व उन्होने कहा की आपके बाडे की दीवार

अपर कलक्टर, नागौर

तोडेंगे, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का आदेश आपके विरूद्व पारित हो रखा है जिसपर अपीलांट गांव आया व तहसील कार्यालय में जाकर संबंधित पत्रावली की जानकारी प्राप्त कर नकल हेतु आवेदन पेश किया जिसपर दिनांक 04.07.2013 को प्राप्त हुई। जिससे पढने, पढाने व कानूनी सलाह प्राप्त करने पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिससे जानकारी होते ही तुरंत अपील पेश की। जिसरो जानकारी के अभाव में दिनांक 30.10.2012 से दिनांक 04.07.2013 की अवधि मियाद अवधि से अलग की जाकर अपील अपीलांट अंदर मियाद सुमार की जाना न्यायउचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि--

{2}(I)--अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतई गलत, खिलाफ कानून व न्याय के सामान्य सिद्वातों के विपरीत पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है

{2}(II)--अपीलांट का कथित रास्ते की भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है बल्कि अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1297 रकबा 12 बिस्वा मौजा दुगस्ताउ की भूमि पर बाडे की पक्की चारदीवारी कदीमी बनी हुई है व दरवाजे लगे हुए है लेकिन तत्कालिन पटवार हल्का ने गांव की गुटबाजी के कारण सरासर गलत व मौके की स्थिति के विपरीत अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार के समक्ष पेश की जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत जांच किये बिना, अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना, पटवारी से जिरह का अवसर दिये बिना, बिना सुने एकतरफा में निर्णय जैर अपील पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाने योग्य है।

{2}(III)--अपीलांट मजदूरी पेशा आदमी है जो अधिकतर मजदूरी हेतु बाहर रहता है। अपीलांट पर उक्त कार्यवाही की सूनवाई बाबत् न तो कभी नोटिस प्राप्त हुआ न तामिल करवाई न एकतरफा कार्यवाही बाबत् निर्णय में कोई हवाला ही है न पत्रावली में कहीं भी अपीलांट की उपस्थिति या तामिल बाबत् कोई अंकन है। फिर भी उसे अतिक्रमी मानकर उसी खातेदारी की कब्जासुद स्वामित्व की भूमि में बनी दीवार को ध्वस्त करने का निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटी की है।

{2}(IV)--अपीलांट का बाडा खसरा नम्बर 1297 रकबा 12 बिस्वा के चारो तरफ दीवार निकालकर बनाया हुआ है इसके अलावा अपीलांट ने अन्य किसी रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण किया है न ऐसी किसी ने कोई शिकायत की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई मौका देखे, बिना अपीलांट के बाडे का माप किये, केवल मात्र पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित कर दिये, जो विधिक निर्णय नहीं है। अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)--अपीलांट का बाडा खसरा नम्बर 1297 है व रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1281 है। अपीलांट का रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार से या किसी दिशा से अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं होता है लेकिन तत्कालिन पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट के बाडे का नक्शे के अनुसार नक्शा बनाकर अपीलांट की खातेदारी के बाडे के भू भाग को ही अतिक्रमण युक्त जायगा बताकर गलत रिपोर्ट छपे छपाये फार्म पेश की है व गलत रिपोर्ट के आधार पर ही नायब तहसीलदार जायल ने विधि विरूद्व बेदखली का आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। वास्तविक तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 1297 रकबा 12 बिस्वा अपीलांट की खातेदारी व कब्जासुद जायगा है इसके अलावा किसी भाग पर कब्जा नहीं है जिसकी माप रिपोर्ट मंगवाई जाना न्यायउचित है। माप रिपोर्ट में अगर अपीलांट का अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1297 रकबा 12 बिस्वा के अलावा कब्जा व अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण कथित अतिक्रमण हटाने व जुर्माना जमा कराने का तैयार है।

{3}--रेस्पोडेन्ट सं. 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 रामप्रसाद (अपीलांट का भाई) अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था और उसने अतिक्रमण हटाने की स्वीकृति दी थी।

{4}--राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा दुगस्ताउ में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}-- उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके दुगस्ताउ के खसरा नंबर 1288 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना

अपर कलक्टर, नागौर

अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर